न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

अनवान गोला खांन आदि बनाम नत्थूखां आदि

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट क्रमांक 268 /2023

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
30.10.2023	पत्रावली रिपोर्ट उपरान्त पेश हुई। दर्ज रजिस्टर हो। अपीलाण्ट के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि फरीद खां की चक 8 एसटीजी–बी में कुल 4.301 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, जिसका विरासतन इंतकाल हो चुका था। अपीलाण्ट की माता नियामत का देहान्त हो चुका है। अप्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में एकपक्षीय स्थगन आदेश में उक्त विवादित कृषि भूमि को गलत तरीके से असामाजिक तत्वों को बेचान कर सकता है जिसकी धमकियां वह सरे आम ग्रामवासियों के सामने देता है। यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए प्रकरण में स्थगन आदेश की क्रियान्विति स्थगित की जाती है। विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्टगण की माता नियामत का विवादित (4.301 है0) खाता सं0 91/90 आराजी में बहिस्सा बराबर दर्ज है और अपीलाण्टगण उसके वारिसान हैं एवं नियामत विवादित आराजी में सह खतोदार की हैसियत से हिस्सेदार हैं। अतः सह खातेदार के विरूद्ध स्थगन दिया जाना उचित नहीं है। अतः उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर के प्र0 सं0 90/21 अनवान नत्थूखां बनाम गनीखां आदि में पारित आदेश दिनांक 22.4.2021 की क्रियान्विति को आगामी दिनांक तक स्थगित किया जाता है और अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनकर नियत तारीख पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। यह पत्रावली एडमिशन स्तर पर निर्णित की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर] 30/10/23 राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़	

Scanned with OKEN Scanner